—प्रतिवादीगण—

वाद पत्र अन्तर्गत धारा राजस्थान भु—राजस्व अधिनियम की धारा 136 व आरटीए धारा 88 बाबत् दूरूस्त करने राजस्व रिकार्ड बरबिनाय साक्ष्य हर किस्म

डिक्री

दिनांक :—16/02/2026

राजपैरोकार तहसीलदार पीलीबंगा एवं प्रतिवादी 1,3,4 की ओर से अधिवक्ता श्री हरिजन्द्र सिंह रमाणा प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से श्रीहीरालाल बिरथलिया इस वाद मे आज दिनांक को **उमा मित्तल** आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर वाद पत्र में प्रवितादीगण के प्रस्तुत बैयनामा, कब्जा काश्त के प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट एवं राजस्थान काश्ताकरी अधिनियम की धारा 88 के तहत साबित होने से स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती है कि चक 40 एलएलडब्लयू बी के खाता सं. 93/19 के प.न. 11/242, 11/243 की कुल 3.542 है. में पूर्व की प्रविष्ठिया विलोपित कर जगसीर सिंह को .506 है. सन्तरों देवी को 1.518 है. विद्या देवी को 1.518 है. का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होनें की व समस्त प्रकार के भार

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीवंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.05.01 13:19:25 IST
Reason: SelfAttested

...त होनें तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होनें की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा अनकमाण्ड / नहरी / बारानी / गैरमुमकिन / गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 16/02/2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीलीबंगा (हनुमानगढ़)

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.05.01 13:19:25 IST
Reason: SelfAttested